इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2021—चैत्र 10, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2021

अधि. क्र. 06 एफ 1-04-2021-अठारह-3.—कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा प्रेषित नगर पालिका परिषद्, पन्ना की सीमावृद्धि संबंधी हिन्दी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक 97-श.वि.अभि.-2019, दिनांक 26 फरवरी, 2019 एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

प्रारंभिक प्रकाशन

पन्ना, दिनांक 26 फरवरी 2019

क्र. 97-श.वि.अभि.-2019.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. 02-एफ--1-04-2019-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2019 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37, 1961) की धारा 5-क को उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरपालिका परिषद्, पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश की सीमा अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है, अनुसूची-एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगरपालिका परिषद्, पन्ना की सीमा में शामिल हो जाने पर नगरपालिका परिषद्, पन्ना की चतुर सीमा अनुसूची-दो के अनुसार हो जायेगी.

अनुसूची-एक के परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात से आपत्ति हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत कर सकेगा प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची-एक

नगरपालिका परिषद्, पन्ना, जिला पन्ना की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्तावित क्षेत्र

क्र. (1)	तहसील (2)	ग्राम का नाम (3)	सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण (4)
1	पन्ना	जनकपुर एवं पुरुषोत्तमपुर	पन्ना अजयगढ़ मार्ग क्रमांक 47 के 5/2 कि.मी. से वन सीमा होते हुये जनकपुर के रानीपुर तिराहा नाला लोकपाल सागर तालाब के वेस्टबीयर तक.
2	पन्ना	पुरुषोत्तमपुर एवं जनवार	लोकपाल सागर तालाव के वेस्टबीयर से वन सीमा-सीमा होते हुये मदार टेकरी को शामिल करते हुये बी.एस.एन.एल. के टावर को शामिल कर धरम सागर तालाब की बाहरी सीमा अर्थात् वन सीमा-सीमा होते हुये श्मशान को शामिल करते हुये जगात चौकी पानी की टंकी एवं मंदिर हनुमानजी को शामिल करते हुये वन विभाग की सीमा-सीमा से आराजी खसरा क्रमांक 3302/03 तक.
3	पन्ना	जनवार एवं कुजंवन	आराजी खसरा क्रमांक 3302/03 को शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 से होते हुये सत्यम पैलेस एवं संजय नर्सरी को शामिल करते हुये दुबे तालाब को शामिल कर, कुजंवन वन विभाग की चौकी को शामिल कर, बृजेन्द्र सिंह बुन्देला के फार्म हाऊस को शामिल करते हुये, वन सीमा-सीमा होते हुये किशोरी बंगाली के मकान के सामने स्थित नाला तक.
4	पन्ना	कुजंवन गहरा एवं पुराना पन्ना	किशोरी बंगाली के मकान के सामने स्थित नाला से होते हुये निरपत सागर को शामिल कर मुड़िया पहाड़ की वन सीमा--सीमा होते हुये एन.एम.डी.सी. पन्ना कालोनी को एवं ग्राम पंचायत पुराना पन्ना के ग्राम टपरियन को शामिल कर कचड़ा प्रशंसकरण को शामिल करते हुये अजयगढ़ रोड राजकीय मार्ग क्रमांक 47 के 5/2 कि.मी. तक.

अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् नगरपालिका परिषद्, पन्ना की चतुर सीमा निम्न अनुसार होगी

क्र. (1)	तहसील (2)	दिशा (3)	विवरण (4)
1	पन्ना	उत्तर दिशा	पन्ना अजयगढ़ मार्ग क्रमांक 47 के 5/2 कि.मी. से वन सीमा होते हुये जनकपुर के रानीपुर तिराहा नाला लोकपाल सागर तालाब के वेस्टबीयर तक.
2	पन्ना	पूर्व दिशा	लोकपाल सागर तालाब के वेस्टबीयर से वन सीमा-सीमा होते हुये मदार टेकरी को शामिल करते हुये बी.एस.एन.एल. के टावर को शामिल कर धरम सागर तालाब की बाहरी सीमा अर्थात् वन सीमा-सीमा होते हुये शमशान को शामिल करते हुये जगात चौकी पानी की टंकी एवं मंदिर हनुमानजी को शामिल करते हुये वन विभाग की सीमा-सीमा से आराजी खसरा क्रमांक 3302/03 तक.
3	पन्ना	दक्षिण दिशा	आराजी खसरा क्रमांक 3302/03 को शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 से होते हुये सत्यम पैलेस एवं संजय नर्सरी को शामिल करते हुये दुबे तालाब को शामिल कर, कुजंवन वन विभाग की चौकी को शामिल कर, बृजेन्द्र सिंह बुन्देला के फार्म हाऊस को शामिल करते हुये, वन सीमा-सीमा होते हुये किशोरी बंगाली के मकान के सामने स्थित नाला तक.
4	पन्ना	पश्चिम दिशा	किशोरी बंगाली के मकान के सामने स्थित नाला से होते हुये निरपत सागर को शामिल कर मुडिया पहाड़ की वन सीमा-सीमा होते हुये एन.एम.डी.सी. पन्ना कालोनी को एवं ग्राम पंचायत पुराना पन्ना के ग्राम टपरियन को शामिल कर कचड़ा प्रशंसकरण को शामिल करते हुये अजयगढ़ रोड राजकीय मार्ग क्रमांक 47 के 5/2 कि.मी. तक.

संजय मिश्रा, कलेक्टर, पन्ना.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.